सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3,Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPC038/2007-BHO/ 1991, दि0-25-10-2010,

प्रति

अपर मुख्य सचिव (वन),
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल (म0प्र0) ।

विषयः रतलाम जिले के अन्तर्गत डाबरी जलाशय योजना हेतु संरक्षित वन की 8.26 हे0 वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भः 1. इस कार्या0 का पत्रांक 6–एमपीसी 038/2007–बीएचओ/12 दिनांक 01/01/2009
2.नोडल अधिकारी (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ–3/68/07/10–11/16/3215 दिनांक 14/09/2010

महोदय,

कृपया मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्रांक एफ–3/68/2007/10–11/16/805 दिनांक 03/04/2007 एवं समसंख्यक पत्रांक 1134 दिनांक 09/05/2008 एवं दिनांक 15/09/2008 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से 8.26 हे0 वनभूमि जल संसाधन विभाग को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2.अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर (ग्राम–माण्डवी, तह0–जावरा, जिला–रतलाम के सर्वे क्रमांक 134 की 8.26 हे0) गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।

स) इस गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित करने संबंधी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी ।

3. उपयोगकर्ता संस्था द्वारा वन विभाग को विभिन्न वानिकी कार्यों के लिए निःशुल्क जल उपलब्ध कराया जायेगा ।

....2

KARTIK/APPRO/ORDER/IRRI 92

अ.प्र.मु.व.सं. (भू-प्र.)
म.प्र., भोपाल

4. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत (जो भी लागू हो) अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जायेगा ।

5. एफ0टी0एल0 से 4 मीटर नीचे तक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा ।

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

7. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई कोई अन्य शर्त । राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त शर्त लगाये जाने की स्थिति में इस कार्यालय को सूचित किया जायेगा ।

भवदीय,

(सुजॉय बैनर्जी)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वनमण्डल रतलाम, जिला-रतलाम (मध्यप्रदेश) ।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम, जिला-रतलाम, मध्यप्रदेश।
5. आदेश पत्रावली

(सुजॉय बैनर्जी)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

NPV 1075000 + 4095760

CA 4076617